राजस्थान वित्त निगम
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

# सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग से प्रभावित औद्योगिक इकाईयों के पुनरुत्थान हेतु ऋण योजना

राज्य की भीषणतम दुर्घटना, जिसमें सीतापुरा क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को महती क्षति पहुॅची है, से निपटने हेतु राजस्थान वित्त निगम की ओर से निम्न सहायता पैकेज प्रस्तावित हैं :—

(अ) निगम से वर्तमान में सहायता प्राप्त इकाईयों हेतु—

(i) ऐसी समस्त इकाईयों को जो इस विपदा में क्षतिग्रस्त हुई हैं निगम 10 लाख रुपये तक का ऋण त्वरित गति से प्रदान करेगा। इस ऋण का उपयोग भवन एवं मशीनरी की मरम्मत, एवं पुनर्निर्माण हेतु किया जा सकेगा। इस ऋण पर निगम अपनी प्रचलित ब्याज दर से (वर्तमान में 12. 75प्रतिशत वार्षिक )1 प्रतिशत कम अर्थात 11.75 प्रतिशत वार्षिक चार्ज करेगा, जिसका पुनर्भुगतान अधिकतम पांच वर्षों में किया जा सकेगा।
(ii) सहायता प्राप्त प्रभावित इकाईयों द्वारा यदि पूर्व में लिये गये ऋण के भुगतान हेतु समय बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है तो निगम ऐसे सभी आवेदनों पर तत्परता से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

(ब) इकाईयॉ जिन्होने निगम से सहायता प्राप्त नहीं की—

(i) निगम द्वारा ऐसी इकाईयों को भी उक्त योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा परंतु उन्हें अपनी परिसंपति (भूमि) के कागजात निगम को रहन रखने होंगे।

(ii)ऐसे उद्यमियों को उक्त योजना के अतिरिक्त निगम की सरल योजना के तहत भी ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसमें निगम इकाई की परिसंपति (भूमि एवं भवन) के मूल्यांकन के 50 प्रतिशत तक के ऋण (अधिकतम 10 करोड़) परिसंपतियों के कागज रहन रखने पर उपलब्ध करायेगा जिसका उपयोग इकाईयॉ अपनी आवश्यकतानुसार इकाई के पुर्नरुत्थान हेतु कर सकेंगी । इस ऋण पर निगम अपनी प्रचलित ब्याज दर से (वर्तमान में 14.50 प्रतिशत वार्षिक ) 0.5 प्रतिशत कम अर्थात 14.00 प्रतिशत वार्षिक चार्ज करेगा, जिसका पुनर्भुगतान अधिकतम पॉच वर्षों में किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त अभी हाल में ही निगम द्वारा उच्च शिक्षा हेतु भी एक ऋण योजना लागू की गई है जिसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानो को 12.75 प्रतिशत नेट वार्षिक पर सहायता प्रदान की जाती है। जो भी संस्थान यह सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हो, वे नियमानुसार आवेदन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

...........